न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 14/2016 (डूंगरपुर डिक्री)

1. हुरमा पिता धूला मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. शंभूलाल पिता हुरमा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2. कमला पिता हुरमा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/3. जवरी पत्नी हुरमा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2. कालिया पिता नाथू मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

3. हरिश पिता नाथू मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

4. रामा पिता नाथू मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. कचरा पिता हकरा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2. हिरा पिता हकरा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

3. रणछोड़ पिता हकरा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

4. कलण पिता हकरा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

5. देवा पिता हकरा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

6. श्रीमती अमरी पिता हकरा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

7. मंजुला पिता हकरा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

8. गंगा पिता हकरा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
9. हलिया पिता सोमा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
10. अर्जन पिता सोमा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
11. रामचन्द्र पिता सोमा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
12. गटूलाल पिता सोमा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
13. सूखा पिता सोमा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
14. श्रीमती मीर पिता सोमा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
15. लीला पिता सोमा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
16. लसू पिता मंगला मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
17. धनजी पिता मंगला मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
18. नाना पिता मंगला मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
19. लालू पिता मंगला मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
20. कलण पिता मंगला मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
21. जयन्ति पिता जीवा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
22. पेमा पिता जीवा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
23. भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय एवं
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा
दिनांक 18.01.2016, प्र0 सं0 28/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरेश जोशी अभिभाषक रे. सं. 1 से 20
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 23

———::———

निर्णय **दिनांक 04–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष धुलिया उर्फ धूला थे, जिनके छः पुत्र हकरा, सोमा, मंगला, नाथू, जीवा व हुरमा हुए। वादी संख्या 2 से 4 नाथू के पुत्र हैं तथा हुरमा वादी संख्या 1 है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजियात वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर कुल किता 13 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा ग्राम धम्बोला में स्थित हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 22 के कब्जे काश्त की आराजियात संवत् 2008 में आराजी नंबर 2695, 2697, 2713, 2723, 2730, 2731, 2732, 2742 कुल किता 8 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी धूला जी के नाम पर दर्ज थी, जिनके हाल आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी धुलिया के नाम संवत् 2008 के आस–पास करीब 2 – 2½ बीघा बिलानाम भूमि दर्ज हुई थी, जो संवत् 2019 में सेटलमेन्ट के आधार पर उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है, किन्तु धुलिया जी की मृत्यु पर विरासत से भूमि केवल उनके दो पुत्र सोमा व हकरा के नाम दर्ज करने से हाल रेकार्ड में उक्त भूमि सोमा व हकरा के वारिसान के नाम दर्ज हो गयी, जबकि इस भूमि में धूला के प्रत्येक पुत्र का समान हक अधिकार व हिस्सा है। निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 से 22 का नाम पारिवारिक बंटवाड़ा हिस्से

अनुसार दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 15 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 से 20 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 21 व 22 का 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सजरा गलत प्रस्तुत किया गया है तथा भूमियां संयुक्त कब्जे काश्त की नहीं हैं, बल्कि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की हैं। वादीगण जहां संवत् 2008 में भूमि का रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा होना बताते हैं वहीं वर्तमान में रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा बताते हैं, जो असंभव है, क्योंकि भूमि कोई मनुष्य या वृक्ष नहीं है जो धीरे–धीरे बढ़ता हो। सेटलमेन्ट द्वारा भूमियों वास्तविक कब्जे व मालिकाना हक के आधार पर प्रतिवादीगण के पिताओं के नाम चढ़ाई गयी हैं, जिन पर वादीगण व उनके पिता या किसी अन्य का कब्जा नहीं होने से उनके नाम दर्ज नहीं की गयी हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 3 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादीगण मौजा धम्बोला के खसरा नंबर 3057, 3058, 3059, 3060/1, 3060/2, 3061, 3063, 3064, 3065, 3075, 3081, 3082, 3084 कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के साथ वादीगण व प्रतिवादी संख्या 16 से 22 के मध्य पारिवारिक हिस्से अनुसार दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 15 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 से 20 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 21 व 22 को 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित कराये जाने के अधिकारी हैं ? .....वादीगण
2. यह कि वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी हैं ? .....वादीगण
3. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 18–01–2016 से वादीगण का वाद खारिज

कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–02–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 20 की ओर वकील श्री नरेश जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 21 व 22 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 23 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अपीलान्ट अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में प्रमुख उजर यह लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद निरस्त करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का कोई विवेचन नहीं किया है। दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों पक्षकारान के पूर्वाधिकारी धूलिया का कब्जा होना एवं भूमियां पैत्रृक होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण के पास 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि उनके पिता के नाम किस प्रकार आयी, यह उनके द्वारा प्रमाणित नहीं करवाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से अपास्त की जावे।

→ हमारे द्वारा पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश शुदा रेकार्ड अनुसार यह सुस्पष्ट था कि वर्तमान आराजियात कुल किता 13 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि में साबिक आराजी नंबर 2697, 2730, 2732, 2731 तथा 2742 सुस्पष्ट रूप से पक्षकारान के पूर्वाधिकारी धूलिया के नाम दर्ज थे तथा यह भी स्पस्ट था कि वर्तमान आराजी नंबर 3058 में साबिक आराजी नंबर 2697 शामिल है। इसी प्रकार वर्तमान आराजी नंबर 3061 साबिक आराजी नंबर 2730 से बना है। वर्तमान आराजी नंबर 3063 साबिक आराजी नंबर

2730 से बना है। वर्तमान आराजी नंबर 3065 साबिक आराजी नंबर 2732 से बना है। वर्तमान आराजी नंबर 3075 साबिक आराजी नंबर 2723 से बना है तथा वर्तमान आराजी नंबर 3089 साबिक आराजी नंबर 2742 से बना है। उक्त साबिक आराजी नंबरों से जो हाल आराजी नंबर बने हैं वह जमाबन्दी संवत् 2002 से 2011 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी धूलिया के नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध द्वारा यह भूमियां धूलिया के सिर्फ 2 पुत्र हकरा व सोमा के नाम के नाम दर्ज कर दी गयी हैं, शेष 4 पुत्रों का नाम दर्ज नहीं हुआ है। यह सही है कि साबिक आराजियात का कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा था एवं हाल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा है। इन परिस्थितियों में जब वर्तमान आराजियात में साबिक आराजी का 7 बीघा 13 बिस्वा रकबा शामिल है तथा धूलिया के अन्य वारिसान को वंचित किया गया है तो ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह लाजमी था कि वर्तमान आराजियात में धूलिया के समय की आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण पुत्रों एवं उनके वारिसान को विरासती उत्तराधिकार से यदि वंचित किया गया है तो साबिक रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा में उनके हक अधिकारों की घोषणा करें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 का निर्णय करते समय तथ्यों को छुपाने के आधार पर उक्त वाद खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि 7 बीघा 13 बिस्वा के पास बाड़ा एवं बिलानाम आराजियात का भी आवंटन धूलिया के समय में कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में यदि उक्त भूमियां धूलिया को आवंटित नहीं भी मानी जाये तो भी जो भूमियां धूलिया के नाम 7 बीघा 13 बिस्वा दर्ज थी, उसमें अपीलान्ट/वादीगण तथा धूलिया के अन्य वारिसान प्रतिवादीगण को उत्तराधिकार से वंचित किये जाने का कोई आधार नहीं है। इन परिस्थितियों में हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने में प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि की गयी है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक व डिक्री दिनांक 18–01–2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षों को

पुनः सुनवाई का अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुनः तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 04–09–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भोगीलाल पिता खेमजी सुथार, नि0 चितरी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर बनाम **मोतीलाल मृतक के बजाय चुन्नीदेवी पत्नी मोतीलाल सुथार, नि0 चितरी तह. सागवाड़ा जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**246 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सीमलवाडा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**10**.....माह.....**06**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**.....माह.....**08**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री शैलेष भण्डारी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री दिनेश चौबीसा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–06–2011 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**08**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।